दिनांक: 27.03.2024

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

भारत की माननीय राष्ट्रपति

<u>विषय: भारतीय और अंतरराष्ट्रीय जलमध्य से खनन</u>

प्रिय राष्ट्रपति जी,

हम भारतीय संसद में गहरे समुद्र में खनन पर आपके बयानों के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं। हालाँकि हम आर्थिक विकास पर सरकार के फोकस की सराहना करते हैं, लेकिन ऐसी गतिविधियों के संभावित पर्यावरणीय, पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर विचार करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से समुद्री कानून कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में। जैविक विविधता पर कन्वेंशन की रूपरेखा। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्राजील, न्यूजीलैंड सहित 25 देशों ने गहरे समुद्र में वाणिज्यिक खनन पर रोक लगाने का आह्वान किया है और 133 सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव अपनाया है जिसमें देशों से पर्याप्त समय तक गहरे समुद्र में खनन में शामिल न होने या समर्थन न करने का आग्रह किया गया है। और यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की गई है कि COP14 में गहरे समुद्र में खनन शोषण गतिविधियों से प्रवासी प्रवाल भित्तियों, समुद्री प्रजातियों, उनके शिकार और पारिस्थितिक तंत्र पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।

इन सतर्क कार्रवाइयों के बावजूद, भारत अपने गहरे महासागर मिशन के साथ समुद्रयान परियोजना के साथ 'समुद्र तल में सभी जीवित और गैर-जीवित संसाधनों की खोज और दोहन', विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने आदि के लिए आगे बढ़ रहा है। अन्य नीली अर्थव्यवस्था नीतियों के साथ, समुद्र तल के खनिजों, हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस और अन्य जैव-आनुवंशिक संसाधनों की यह खोज मुख्य रूप से समुद्री स्थानों को व्यवस्थित रूप से वित्तीय बनाने और निगमित करने पर केंद्रित प्रतीत होती है। हालिया विधायी संशोधन और ऑफशोर ब्लॉक नीलामी स्पष्ट रूप से इसका संकेत हैं। हमें इस बात की भी चिंता है कि, चूंकि इन रणनीतिक आर्थिक परियोजनाओं को नौसेना बलों

द्वारा संरक्षित किया जाता है, इससे मछुआरों की पहुंच और भी सीमित हो जाएगी और वे अपने पारंपरिक समुद्री स्थानों से अलग हो जाएंगे और मछुआरों की जान को और भी अधिक नुकसान होगा।

हम याद दिलाना चाहेंगे कि अध्ययनों ने भारत को जलवायु संकट के प्रभावों के कारण 181 देशों में से 5वां सबसे असुरक्षित देश बताया है। समुद्र के बढ़ते स्तर, तटीय कटाव, चक्रवातों और तूफानों में वृद्धि और बाढ़ में वृद्धि के कारण तटीय समुदायों को भी उच्च जोखिम में डाल दिया गया है। महासागर पृथ्वी प्रणालियों में से एक है जिसे यदि सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए और संरक्षित किया जाए तो जलवायु संकट का समाधान हो सकता है। गहरे समुद्र में खनन और अन्य नीली अर्थव्यवस्था परियोजनाएं, दुर्भाग्य से, जोखिमों को कम करने के बजाय केवल बढ़ा रही हैं।

वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही गहरे समुद्री खनन के प्रभाव पर चिंताएँ जताई हैं। कुछ रिपोर्टों ने यह भी स्थापित किया है कि गहरे समुद्री खनिज हरे परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नहीं हैं और यह सीमित वित्तीय लाभ प्रदान करेंगे। हाल की एक रिपोर्ट ने दर्ज किया है कि 'गहरे समुद्र का खनन पारिस्थितिकीय आपातकालीन विपरीतता हो सकता है जिससे 500 अरब डॉलर का मूल्य नष्ट हो सकता है।' गहरे समुद्र के पारिस्थितिकीय सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव न्यायाधीश के माध्यम से कम से कम 465 अरब डॉलर की प्राकृतिक पूंजी का नष्ट कर सकता है, अधिकांशतः आवास की नष्टि के माध्यम से।

जैसा कि यूएनक्लॉस के साक्षात्कार का हिस्सा होने के नाते, भारत ने समुद्री संसाधनों का उचित उपयोग और संरक्षण करने और समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचाने से बचाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। गहरे समुद्री खनन बड़े पर्यावरणीय जोखिम लेकर आता है जो हमारे समुद्र, समुद्री जीवन, और किनारे के समुदायों के लिए दूरदर्शी परिणाम रख सकता है। हमें इस मुद्दे के साथ ज़िम्मेदारी के भाव से प्रस्तुत करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य यूएनक्लॉस में निर्दिष्ट सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त, यूएनक्लॉस राज्यों के समुद्री पर्यावरण की संरक्षण और संरक्षण के लिए दायित्व को भी दिया है। धारा 192 विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण के प्रति हानि और अन्य खतरों को रोकने के उपाय लेने का दायित्व हासिल करती है, समुद्री संसाधनों की संरक्षा और सांत्वना को सुनिश्चित करना।

हम अभी गहरे समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्रों के महत्व, मूल्य और विविधता को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में, विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रशांत महासागर के क्लैरियन-क्लिपर्टन क्षेत्र (सीसीजेड) में 88%-

92% के बीच प्रजातियाँ अनजान या अज्ञात हैं, जो वाणिज्यिक खनन की शुरुआत की जा सकती है, वे। इन पारिस्थितिकीय तंत्रों की बेहतर समझ के बिना, यूएनक्लॉस पक्ष नहीं सुनिश्चित कर सकते कि वे समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचाने से बचा सकते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का लक्ष्य 14 'सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करें' और इसके लक्ष्य ऐसी चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं जिनका समाधान पूरी दुनिया को अगले कुछ वर्षों में स्थिरता का मार्ग प्राप्त करने के लिए करना होगा।

इन प्रतिबद्धताओं के आलोक में, हम सम्मानपूर्वक सरकार से आग्रह करते हैं:

- एहतियाती सिद्धांत का पालन करें, जिसके लिए आवश्यक है कि यदि विकासात्मक गतिविधि गंभीर और अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है तो उसे रोक दिया जाए और रोका जाए।
- भारतीय जलक्षेत्रों में गहरे समुद्र में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाएं और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में स्थगन पर सहमति बनाने के लिए अन्य देशों के साथ काम करें।
- संसाधन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करें जो पर्यावरणीय स्थिरता और हमारे महासागरों और इसके लोगों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और साथ ही प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना जो महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता को कम करते हैं।
- बैटरी प्रौद्योगिकी (आसान-से-स्रोत और आसानी से उपलब्ध तत्वों का उपयोग करके) में नवाचार को प्राथमिकता दें और बढ़ी हुई रिकवरी, रीसाइक्लिंग, पुन: उपयोग, पुन: निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत, पुन: उपयोग और क्षमताओं को कम करने सहित परिपत्र अर्थव्यवस्था रणनीतियों को प्राथमिकता दें।

हम आपसे दृढ़तापूर्वक आग्रह करते हैं कि गहरे समुद्र में खनन के मुद्दे को आर्थिक ढांचे के साथ नहीं देखा जा सकता है, इसके प्रभाव अपरिवर्तनीय और विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए हम भारत से सावधानी से कदम उठाने और गहरे समुद्र में खनन पर रोक लगाने का आग्रह करते हैं। हमारा मानना है कि भारत यूएनसीएलओएस सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जल में गहरे समुद्र में खनन पर रोक लगाने के लिए अन्य देशों के साथ हाथ मिलाएगा। हम इस मामले पर आपके ध्यान की सराहना करते हैं और विश्वास करते

हैं कि हमारी सरकार हमारे महासागरों, हमारे बच्चों और हमारी भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाना जारी रखेगी।

आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।

आपकी श्रद्धापूर्वक,

Mineral Inheritors Rights Association	National Fishworkers Forum
Koli Yuva Shakti, Vasai	Sagar Shakti
Paryavarn Sanvardhan Samiti, Vasai	Brackish Water Research Centre
The Future We Need	Maharashtra Small Scale Fishworkers Trade Union
Goenchi Mati Movement	Paramparik Macchimar Bachav Samajik Kruti Samiti
Delhi Forum	All India Union of Forest Working People
Financial Accountability Network	Bargi Bandh Visthapit Evam Parbhavit Sangh
Coastal Action Network	Tamilnadu Women Fishworkers Sangam